कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल

समग्रशिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण,स्कूल शिक्षा विभाग की क्रीडा प्रतियोगिताओ एवं अन्य निर्धारित कार्यकम 2022–2023

साउंड सिस्टम एवं विद्युत व्यवस्था हेतु निविदा की विस्तृत शर्ते–

समग्रशिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण,स्कूल शिक्षा विभाग की क्रीडा प्रतियोगिताओ एवं अन्य निर्धारित कार्यकमों के आयोजन स्थलो पर साउंड सिस्टम एवं विद्युत व्यवस्था हेतु के किराये पर लगवाये जाने हेतु निविदा के माध्यम से दरें आमंत्रित की गई है।

निविदा की विस्तृत भार्ते निम्नानुसार हैं:–

01– **निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेंड अथवा प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। इस बाबत् निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त शपथपत्र रु 1000/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।** प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दरें निर्धारित फार्म में भरकर ही प्रस्तुत की जावे। फार्म में दरें अंकित न होने की स्थिति में निविदा मान्य नही की जावेगी। यह निविदा पत्र अहस्तांतरणीय है।

02– **संस्था को साउंड सिस्टम एवं विद्युत सामग्री किराये पर उपलब्ध कराने का शासकीय कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष (निरंतर) का अनुभव होना आवश्यक है।कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करे। निविदा फार्म के साथ जीवित का पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन नम्बर एवं जी.एस.टी कमांक की छाया प्रति संलग्न करें।**

03 विद्युत सामग्री एवं साउंड सिस्टम किराये पर देने हेतु फर्म का जीवित पंजीकरण नगर निगम के द्वारा जारी एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी ठेकेदार का लाईसेंस /अधिकृत संबंधीपत्र की प्रति संलग्न करें। किसी भी फर्म को फर्म का स्थापना पंजीयन कमांक,,पेन नम्बर, जी.एस.टी कमांक , एवं नगर निगम से जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।जीवित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। समस्त कर(जी.एस.टी अथवा किसी भी प्रकार का कर जो शासन द्वारा निर्धारित है) जमा करने का दायित्व निविदाकर्त्ता का होगा। **कार्यालय द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. का कटोत्रा किया जावेगा।**

04 किसी भी फर्म/फर्मओं की तकनीकी व्यवसायिक एवं आर्थिक क्षमताऐं सामग्री सुविधाओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिष्ठा एवं अनुभव महत्वपूर्ण समझा जावेगा। तत्संबंधी प्रमाण फर्म

द्वारा प्रस्तुत किया जावें। निविदा मूलतः संम्बन्धित कार्य करने वाला व्यवसायी ही हो तथा यह प्रमाण पत्र देना होगा कि वे विधुत एवं साउड सामग्री कार्य हेतु जिन कार्यो की दरें दे रहे है, उसके लिए उनके पास पर्याप्त सामग्री एवं साधन उपलब्ध करा सकेंगे।

05 – **कय समिति का निर्णय अंतिम होगा यदि असंतोषजनक गुणवत्ता/किसी प्रकार की कमी/शिकायत प्राप्त होने पर आपका कार्यादेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने तथा अन्य फर्म को कार्यादेश प्रदान करने एवं आपकी धरोहर राशि को जब्त करने का अधिकार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग के पास सुरक्षित रहेगा साथ ही नाम ब्लेक लिस्टेड कर आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निविदाकर्त्ता का होगा। किसी भी प्रकार न्यायालयीन प्रकरण उद्‌भुत होता है तो न्यायालयीन कार्यक्षेत्र भोपाल होगा। निविदा बगैर बताये मान्य करने एवं अमान्य करने का अधिकार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के पास सुरक्षित होगा।**

06 – **दरे निविदा स्वीकृत होने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए अथवा आगामी वर्षो के लिये नवीन विज्ञापन प्रकाशित होने तक वैध होगी।**

07 – इस निविदा शर्त के साथ धरोहर राशि **रूपये 100000/– (रु एक लाख मात्र)का संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल** के नाम से डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है। चैक/पोस्टल आर्डर/नगद राशि/किसी प्रकार के बचत पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न नही होने पर निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

08 – फर्म को निर्देशिानुसार समय एवं निर्धारित स्थान पर सामग्री पहुंचाना होगा।जिसकी सूचना समय सीमा में अवगत कराया जायेगा। सामग्री के परिवहन पर होने वाले व्यय का कार्यालय द्वारा भुगतान नही किया जावेंगा। क्षतिग्रत सामग्री का भुगतान नही किया जावेगा।सामग्री लगाने एवं निकालने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

09 – सामग्री पहुचाने अथवा लगाने के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना ग्रस्त मजदूर अथवा कर्मी को क्षतिपूर्ति का सम्पूर्ण दायित्व निविदाकर्त्ता का होगा। क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान ना करने की दशा में उक्त हर्जाना राशि का कटोत्रा धरोहर राशि एवं संबंधित फर्म को भुगतान योग्य राशि से कटोत्रा कर दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को भुगतान करने हेतु आयोजन समिति(संयुक्त संचालक लो.शि.भोपाल संभाग भोपाल) स्वतंत्र होगी।

10, – निर्धारित प्रपत्र में दर ही अंकित की जावे।अपूर्ण प्रपत्र होने की स्थिति में निविदा पर विचार नही किया जावेगा।परिवहन/फिटिंग पर होने वाला व्यय निविदाकर्त्ता (फर्म) को ही वहन करना होगा।

11 – विगत 03 वर्षो (2019–2020,2020–2021, 2021–2022) में 1.00 करोड का विधुत एवं साउड सिस्टम किराये पर उपलब्ध कराने का टर्न ओवर होना आवश्यक है सी.ए.द्वारा किये गए आडिट प्रतियॉ एवं टर्नओवर का वर्षवार प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करे। निविदा फार्म के साथ विगत 03 वर्षो (2019–2020,2020–2021, 2021–2022) का आई.टी.आर एवं जी एस टी (03 वर्षो के)की जमा की गई प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

12– निविदा के लिफाफें पर **समग्रशिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण,स्कूल शिक्षा विभाग की क्रीडा प्रतियोगिताओ एवं अन्य निर्धारित कार्यकमों विधुत एण्ड साउड सिस्टम किराये की दरे हेतु निविदा** आवश्यक रुप से अंकित करें एवं अमानत राशि के ड्राफ्ट के पृष्ट भाग पर संस्था की सील एवं **समग्रशिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण,स्कूल शिक्षाविभाग की क्रीडा प्रतियोगिताओ एवं अन्य निर्धारित कार्यकमों विधुत एण्ड साउड सिस्टम किराये की दरे हेतु निविदा एवं निचले भाग में संस्था के प्रोपराइटर का नाम एवं मोबाईल कमांक** अंकित करे।

13– अपूर्ण/प्रपत्र में दरे अंकित न किये जाने वाली निविदा/शर्तो में उल्लेखित समस्त अभिलेख संलग्न न होने वाली निविदा/समस्त अभिलेखो पर हस्ताक्षर न होने पर प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नही किया जावेगा। निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार **संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के पास सुरक्षित होगें।**

14–कार्य में नियोजित कारगर एवं श्रमिकों को श्रम नियमो के अंतर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन वेतन देने तथा ई.पी.एफ एवं ई एस.आई एक्ट ,कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट के प्रावधानो (इनमें से जो लागू हो) के अनुपालन की समस्त जिम्मेदारी निविदाकर्त्ता फर्म की होगी।फर्म द्वारा बाल श्रमिको को नियोजित नही किया जाएगा।

15– जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी सुरक्षा निधि के ड्राफ्ट मूलतः लौटा दिए जायेंगे।स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होंगा।

16 – विधुत एवं साउड सामग्री लगाये जाने के पूर्व समस्त आवश्यक अनुमति लेने का उत्तरदायित्व निविदाकर्त्ता को लेनी होगी।यदि किसी विभाग द्वारा अनुमति दिए जाने पर

किसी भी प्रकार का शुल्क लिया जाता है उक्त राशिका भुगतान निविदाकर्त्ता को वहन करना होगा। कार्यालय से किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा।सामग्री के परिवहन पर होना वाले व्यय का वहन निविदाकर्त्ता करना होगा।विधुत सुरक्षा से संबंधी अन्य विभागों से प्राप्त किये जाने वाले सभी प्रमाणपत्र को प्राप्त करने का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा। अन्य विभागों से प्राप्त किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु निर्धारित शुल्क का वहन फर्म द्वारा किया जावेगा।कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क वहन नही किया जावेगा।

17– किसी भी फर्म/निविदाताओं को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने संतोषजनक एवं अच्छी सेवा उपलब्ध न कराने तथा किसी भी विवाद की स्थिति में **संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल** का निर्णय अंतिम होगा तथा सेवा निरस्त करने तथा धरोहर राशिको जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा । किसी भी प्रकार के कानूनी कार्य के लिये क्षेत्राधिकार भोपाल स्थित न्यायालय होगा जो कि फर्मओं को मान्य होगा।प्रकरण में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायलय क्षेत्र भोपाल रहेगा तथा सभी प्रकार के अधिकार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के पास सुरक्षित रहेगें।

18–.फर्म/फर्म नगर निगम भोपाल पंजीकृत होना अनिवार्य है(जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें)।

19– सुरक्षा की दृष्टि से उच्च क्वालिटी /उत्तम गुणवत्ता का विधुत सामग्री,जनरेटर एवं माईक, स्पीकर, साउन्ड सिस्टम,जनरेटर आदि वायरिंग एवं फिटिंग सहित किराये पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। **निविदाकर्ता द्वारा सुरक्षा संबंधी सेफ्टी नार्मस का पालन करना होगा।** लाईट एवं साउण्ड सामग्री कार्यालय के द्वारा बतायें गए स्थान पर लगानी होगी। कार्यक्रम स्थल पर सामग्री लाने, लगाने उतारने तथा समाप्ति पश्चात् ले जाने का सम्पूर्ण दायित्व निविदाकार्ता का होगा,इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई राशिपृथक से देय नहीं होगी। लाईट डेकोरेशन सामग्री की फिटिंग कार्य हेतु कारीगर एवं श्रमिको की व्यवस्था फर्म द्वारा अपने व्यय पर की जाएगी।

20– कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग द्वारा प्रदाय निर्धारित प्रपत्र पर ही सभी दरें प्रस्तुत की जावें।

21– समस्त अभिलेख हस्ताक्षरित होना चाहिए। समस्त आवश्यक एवं वॉछित अभिलेखो की सूची तैयार कर प्रथम लिफाफे में रखी जावे।

22–सामग्री लगवाने एवं निकलने का दायित्व संबंधित फर्म का होगा।सर्विस लाईन एवं फिटिंग में उपयोग होने वाली वायरिंग का पृथक से किराया नही दिया जावेगा।

23– ईवेन्ट कम्पनी अथवा ईवेंट संस्थाए निविदा में सहभागिता नही कर सकेगी। मूलतः विधुत एण्ड साउड सिस्टम का कार्य करने वाली संस्था/फर्म ही निविदा में सहभागिता कर सकेगी। विभाग से कई बार न्यून समय में आयोजन हेतु निर्देशित किया जाता है ।अतः सुविधा की दृष्टि से भोपाल शहर स्थित फर्म को निविदा में प्राथमिकता दी जावेगी।

24 कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग द्वारा प्रदाय निर्धारित प्रपत्र पर ही सभी दरें प्रस्तुत की जावें। निविदा के दोनो लिफाफों पर साउंड सिस्टम एवं विद्युत व्यवस्था हेतु निविदा 2022–2023 आवश्यक रुप से अंकित करें एवं अमानत राशि के ड्राफ्ट के पृष्ट भाग पर फर्म की सील एवं साउंड सिस्टम एवं विद्युत व्यवस्था हेतु कालीन निविदा 2022–2023 अंकित करे। निविदा के 02 लिफाफे तैयार कर प्रस्तुत किये जावें। प्रथम लिफाफें में समस्त आवश्यक एवं वॉछित अभिलेख पेजिंग कर अनुकमणिका के साथ एवं द्वितीय लिफाफें में कार्यालय द्वारा प्रदाय किये गए प्रपत्र एवं डी.डी.रखे जावें। लिफाफो के निचले भाग में संस्था के प्रोपराइटर का नाम एवं मोबाईल कमांक अंकित करे।

25 निविदा प्रकिया पूर्ण होने पर चयनित फर्म को कार्यालय द्वारा कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् यदि फर्म द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि करने ,गुणवत्तापूर्ण कार्य अथवा सेवा उपलब्ध न होने पर धरोहर राशि राजसात की जावेगी या कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् कार्यालय को प्रस्तुत किये गए देयक से 20 प्रतिशत राशि कार्यालय की कय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार कटोत्रा किया जावेगा। जो कि चयनित फर्म को मान्य होगा।

26 कार्यालय की कय समिति ,संस्कृति विभाग द्वारा अनुमोदित दरों से प्राप्त दरों की तुलना कर अनुशंसा करने हेतु स्वतंत्र सकेगी। जोकि निविदाकर्त्ता को मान्य होगी।

नोटः– निविदाए प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6.12.2022 दोपहर 12.00 तक। निविदा दिनांक 6.12.2022 को अपरान्ह 3.00 बजे कय समिति के समक्ष खोली जावेगी।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल